झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
संख्या-03

अष्टम (बजट) सत्र

गुरुवार, दिनांक-19 जनवरी, 2017 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 03.10 बजे अप० तक ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य हाथों में पोस्टर लिये हुए अपने स्थान पर खड़े होकर **CNT, SPT ACT** में हुए संशोधन को वापस लेने की माँग करने लगे।

1. कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

आसन द्वारा सदन को संसूचित किया गया कि चूँकि CNT, SPT ACT में हुए संशोधन सम्बन्धी विधेयक सदन से पारित होकर माननीय राज्यपाल महोदया के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है, अतएव इसपर माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार से प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। अतएव नियमानुकूल नहीं होने के कारण इसे अमान्य कर दिया गया है।

इस अवसर पर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य, सर्वश्री दीपक बिरूवा, जगरनाथ महतो, जय प्रकाश भाई पटेल, योगेन्द्र प्रसाद एवं श्री चमरा लिण्डा सहित अन्य माननीय सदस्य नारायुक्त पोस्टर लिये हुए सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे और **CNT, SPT ACT** में हुए संशोधन को वापस किये जाने की माँग करने लगे। माननीय सदस्य, श्री राधाकृष्ण किशोर ने इस विषय को सदन से इतर बताया। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने सरकार से उक्त संशोधन को वापस लेने की माँग की, परन्तु सदन चले, इसकी उन्होंने हिमायत की।

आसन द्वारा बार-बार माननीय सदस्यों को अपने स्थान पर बैठने हेतु आग्रह किया गया और कहा गया कि माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन के दरम्यान माननीय सदस्यों को भरपूर मौका दिया जायेगा लेकिन, स्थिति यथावत् कायम रही। अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.15 बजे पूर्वा० से लेकर 12.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही एवं श्री प्रदीप यादव ने आसन से आग्रह किया कि उनके प्रश्नों के लिखित जवाब नहीं आये है, उन्हें विभाग से मंगवाया जाय। इस क्रम में पूर्व की भाँति **CNT, SPT ACT** में हुए संशोधन को वापस किये जाने की माँग को लेकर पुनः झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य पोस्टर लेकर सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।

आसन द्वारा माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार को ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव की सूचना पढ़े जाने हेतु पुकारा गया, लेकिन सदन में अव्यवस्था के कारण इसपर सरकारी वक्तव्य नहीं हो सका। माननीय सदस्य, श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा सदन को व्यवस्थित किये जाने हेतु आसन से आग्रह किया गया। इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री इरफान अंसारी हिन्दी समाचार पत्र दैनिक जागरण में प्रकाशित किसी समाचार की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे थे जो भारी शोरगुल के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था।

2. वित्तीय कार्य:-

माननीय प्रभारी मंत्री (संसदीय कार्य), श्री सरयू राय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष-2016-17 के तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी सभा पटल पर उपस्थापित की गयी।

इसके उपरांत आसन द्वारा सदन को संसूचित किया गया कि तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर माननीय सदस्य अपने कटौती-प्रस्ताव की सूचना आज दिनांक-19 जनवरी, 2017 को सभा सचिव को दे सकेगें।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

3. आसन से घोषणा:-

माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर माननीय सदस्यों से प्राप्त सभी संशोधनों को कार्यवाही का अंश बनाये जाने की घोषणा आसन से की गयी।

माननीय सदस्य, श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा आसन की अनुमति से माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री राम कुमार पाहन ने किया।

इस अवसर पर पूर्व की भाँति **CNT, SPT ACT** में हुए संशोधन को वापस किये जाने की माँग को लेकर पुनः झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य पोस्टर लेकर सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 02.13 बजे अप० से लेकर 03.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

इस अवसर पर पूर्व की भाँति **CNT, SPT ACT** में हुए संशोधन को वापस किये जाने की माँग को लेकर पुनः झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य पोस्टर लेकर सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।

(भारी शोरगुल)

माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा प्रस्तुत एवं माननीय सदस्य, श्री राम कुमार पाहन द्वारा समर्थित धन्यवाद का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं माननीय सदस्य, सर्वश्री आलमगीर आलम, प्रदीप यादव, कुशवाहा शिवपूजन मेहता एवं श्री राज कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

4. सभा पटल पर प्रतिवेदन का उपस्थापन:-

माननीय सभापति, श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी, सदाचार एवं विधायक निधि अनुश्रवण समिति द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत समिति के आठवें प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा गया तत्पश्चात् माननीय सभापति द्वारा निम्न प्रस्ताव किया गया:-

P.T.O.

''दिनांक-23 नवम्बर, 2016 को सभा में रिपोर्टर के टेबल पर चढ़कर स्प्रे करना, सभा में रखे गये रिपोर्टरों की कुर्सी को तोड़ना तथा टूटी हुई कुर्सी से अध्यक्ष के आसन पर प्रहार करना सभा की अवमानना एवं सभा के विशेषाधिकार का हनन भी है।

अतः श्री शशिभूषण सामाड, स०वि०स०, श्री पौलुस सुरीन, स०वि०स०, श्री अमित कुमार महतो, स०वि०स० एवं श्री इरफान अंसारी, स०वि०स० को वर्त्तमान सत्र सहित वर्त्तमान वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि-31.03.2017 तक की अवधि के लिए सभा एवं समिति की सेवा से निलंबित किया जाय और निलंबन की इस अवधि में उपर्युक्त सभी माननीय सदस्यों को वेतन भत्ता एवं विधायक के रूप में प्राप्त समस्त विशेषाधिकारों से वंचित किया जाय।''

उक्त प्रस्ताव पर सभा की सहमति हुई तदुपरांत सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक-20.01.2017 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

रॉंची,
दिनांक- 19 जनवरी, 2017 ई०।

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।